an>

Title: Need to give adequate pay to instructors in schools in the country.

श्री जगदम्बिका पाल (डुमरियागंज): अधिÂठाता महोदय, मैं एक अत्यन्त लोक महत्व और तात्कालिक विषÂाय की तरफ, जो अविलम्बनीय भी है, आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृÂष्ट करना चाहता हूं।

देश में अपने संविधान के अनुसार मौलिक अधिकार और डायरैक्टिव प्रिंसीपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, नीति निर्देशक तत्वों के तहत देश की जनता को मौलिक अधिकार और उनको सुविधाएं मिलती हैं। हमारी सरकार ने राइट टू एजुकेशन के अन्तर्गत 6 साल से 14 साल के बच्चों को फ्री और कम्पलसरी एजुकेशन के लिए पूरे देश के संघीय ढांचे में राज्यों की मदद की है और राज्यों से अपेक्षा करती है कि हर ब्लॉक लेविल पर एक मॉडल स्कूल हो और जिसमें 6 वÂाऱ से 14 वÂाऱ के बच्चों को, जिस तरह से अच्छे स्कूलों में, सी.बी.एस.ई. के स्कूलों में उनको क्वालिटी ऑफ एजुकेशन मिलती है, उसी तरह से गांव में रहने वाले ग्रामीण बच्चों का भी एक हक और हुकूक बने कि उन्हें भी कम से कम देश की प्रतिस्पर्धा में, बराबरी में खड़ा होने का मौका मिले।

मैं आपसे एक मांग करता हूं। आपने मांग के लिए तो हमसे कहा ही नहीं, सबसे तो आप मांग के लिए कह रहे थे।

माननीय सभापति: आप तो इतने सीनियर हैं, आपको कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ती।

श्री जगदम्बिका पाल : मैं मांग करता हूं कि जो उन उच्च प्राथमिक विद्यालयों में जो अनुदेशक के रूप में हैं, उन अनुदेशकों को कई महीनों से मानदेय नहीं मिल रहा है, जबकि वे शिक्षकों की तरह से काम करते हैं और हमारी सरकार ने फैसला किया है कि समान काम के लिए समान वेतन हो तो जो उच्च प्राथमिक विद्यालयों के अनुदेशक के रूप में उत्तर प्रदेश में काम कर रहे हैं या देश में काम कर रहे हैं, उनको शिक्षक के रूप में उनकी तनख्वाह दी जाये।...(व्यवधान)

माननीय सभापति :

श्री शरद त्रिपाठी,

श्री सुधीर गुप्ता,

श्री भैरों प्रसाद मिश्र और

श्री पुÂष्पेन्द्र कुमार चन्देल को श्री जगदम्बिका पाल द्वारा उठाये गये विषÂाय पर सम्बद्ध होने की अनुमति प्रदान की जाती है।